उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्या–178 /V-2-2018–79(आ0)/2016

देहरादून : दिनांक 01 ~~जनवरी~~, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप–1364/V–2–2017–79(आ0)/2016, दिनांक 29.08.2017 द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 एवं उत्तराखण्ड रियल इस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) रूल्स, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत रेरा सैल उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के समक्ष चालू परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु शास्ति लगाए जाने साथ संगत तिथियां निर्धारित की गई है।

2– भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा–59(1) में संप्रवर्तक द्वारा धारा–3 उपबन्धों का उल्लघंन करने पर उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.08.2017 द्वारा अधिरोपित शास्ति पर सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.08.2017 को अधिक्रमित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक प्राधिकारी रेरा के कार्यालय में On going projects को निर्धारित तिथियों के पश्चात् पंजीकरण हेतु शास्ति अधिरोपित किये जाने के लिये निम्नानुसार तिथियां एवं शास्तिनिर्धारित की जाती है:–

1	वर्तमान तिथि से 28.02.2018	शून्य प्रतिशत
2	दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत
3	दिनांक 01.04.2018 से 30.04.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत
4	दिनांक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत
5	दिनांक 01.06.2018 के उपरांत	परियोजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत

3– उपरोक्तानुसार संशोधनोपरान्त पूर्व कार्यालय ज्ञाप–1364/V–2–2017–79(आ0)/2016, दिनांक 29.08.2017 द्वारा निर्धारित तिथियों हेतु शास्ति शून्य हो जायेगी फलस्वरूप विकासकर्ताओं द्वारा पूर्व में शास्ति के रूप में नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में जमा धनराशि संबंधित विकासकर्ताओ को निर्धारित प्रक्रियानुसार वापिस किया जायेगा।

EE 3/2

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–178 /V-2-2018–79(आ0)/2016–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(4) मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(5) आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।

1401
02/02/018

(6) सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(7) मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(9) उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(10) उपाध्यक्ष, हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
(11) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(12) सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(13) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव ।